# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

**अपील संख्या: 66 / 2022 एल.आर.एक्ट**

**GCMS No. 2022 / 82**

1. छिन्द्र सिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति हरीजन साकिन मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

— **अपीलान्ट**

**बनाम**

1. सुभाष चन्द्र पुत्र उत्तमाराम जाति मेघवाल साकिन चक 7 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. मीरां बाई पुत्री खेताराम पत्नि उत्तमाराम जाति मेघवाल साकिन चक 7 एल.सी. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच. मोहलां तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
4. तहसीलदार श्रीकरणपुर।

— **रेस्पोन्डेंट्स**

**उपस्थितः** श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री अरविन्द चालिया — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
श्री श्रवण कुमार जनागल

संभाग बीकानेर

## निर्णय

**दिनांक 14.10.2024**

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर के आदेश दिनांक 04.05.2022 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– विवादित भूमि चक 2 आर. व 3 आर. के मुरब्बा नंबर 33 के किला नंबर 13 व 14 ता 25 कुल 12.10 बीघा खातेदारी नहरी कृषि भूमि है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम खातेदारी दर्ज थी। अपील मीमों अनुसार अपीलांट ने वादगत भूमि दिनांक 10.02.1983 को जरिये इकरारनामा रेस्पोडेन्ट सं. 2 से क्रय की, जिससे संबंधित प्रकरण सिविल न्यायालय में जेरकार है। उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 मीरा ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 सुभाष चन्द्र को जरिये दान पत्र सुपुर्द

संभागीय आयुक्त बीकानेर

कर दी। दान पत्र के आधार पर उक्त भूमि चक 2 आर का इंतकाल संख्या 283 दिनांक 23.03.2012 व चक 3 आर का इंतकाल संख्या 401 दिनांक 23.03.2012 को पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किया गया। उक्त इंतकाल सं. 283 को दिनांक 06.05.2013 को व इंतकाल संख्या 401 को दिनांक 20.06.2013 को सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां द्वारा जरिये प्रस्ताव संख्या 1 भूमि विवादित बताते हुए खारिज कर दिया। ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां के उक्त दोनों आदेशों के विरुद्ध रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2022 पारित करते हुए स्वीकार कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रपत्र 3 के संलग्न दस्तावेज व लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 2 से जरिये इकरारनामा तमाम कीमत अदाकर खरीद की थी। वादगत भूमि पर अपीलांट का ही कब्जाकाश्त है। अपीलांट का सिविल न्यायालय में वाद जैरकार हैं, जिससे संबंधित दस्तावेज की नकल पेश है। वादगत भूमि अपीलांट को हस्तांतरित हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट सं. 2 मीरा ने अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुभाषचंद्र को अवैध रूप से जरिये दान पत्र दे दी। दान पत्र के आधार पर दर्ज हुए दोनों इंतकालों को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने दो इंतकालों की एक ही अपील की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने में कानूनी भूल की हैं, क्योंकि दो इंतकाल की एक अपील नहीं हो सकती। (आर.आर.डी. 1983 पेज 811) सिविल न्यायालय में प्रकरण जैरकार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने अपील की प्रोसिडींग दाखिल दफ्तर कर दी थी (जैसा कि आर.आर.डी. 2010 पेज 557 में अंकित है) तथा पुनः प्रक्रिया शुरू कर प्रकरण जैरकार होते हुए इकतरफा तौर पर निर्णय पारित कर दिया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 द्वारा सहमति से अपीलांट को बिना पक्षकार बनाये 7 वर्ष बाद अपील में निर्णय करवा लिया। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 को कंही भी चैलेंज नहीं किया जबकि मूल आदेश वही था। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 का वादगत भूमि पर कब्जा ही नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये दान पत्र प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर

पटवारी हल्का ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 के पक्ष में इंतकाल दर्ज कर दिया। ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां ने 14 महीने बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज इंतकाल को विवादित बताते हुए खारिज कर दिया, जो गलत हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने भी ग्राम पंचायत के आदेश को क्षेत्राधिकार से बाहर बताते हुए निरस्त कर दिया, क्योंकि भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) के तहत ग्राम पंचायत को इंतकाल विवादित होने पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2022 यथावत रखा जावे।

4– हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 सुभाषचन्द्र के पक्ष में किये गये उपहार पत्र के संदर्भ में चक 2 आर के इंतकाल संख्या 283 व चक 3 आर के इंतकाल संख्या 401 में तहसीलदार श्रीकरणपुर को विधि सम्मत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा सहमति प्रदान की गई थी, उसी आधार पर निर्णय पारित किया गया हैं, जिसमें कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती। अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील में स्वयं को संबंधित भूमि का क्रेता बताते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने का कथन किया है, किन्तु अपील के साथ कोई क्रय अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है तथा अपीलांट ने अपनी अपील में यह भी कथन किया है कि अपीलांट द्वारा सिविल न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर रखा हैं। ऐसी स्थिति में अधिकारों का विनिश्चय समक्ष स्तर पर सिविल न्यायालय से ही संभव है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.05.2022 यथावत रखा जाता है।

5– तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 14.10.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/10/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर